FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0083 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2026 12:51 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 06/01/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 09:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2026 12:51:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 370 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** AABAKARI THANA DHARIYAVAD, JILA PRATAPGARH

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GAUTAM LAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARCHAND CHAUDHARY

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KESHRIYAVAD, केसरियावाद, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KESHRIYAVAD, केसरियावाद, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ISHWAR SINGH		पिता:RAMSINGH SHAKTAWAT	1. NICHALA GUDHA,SARADA,UDAIPUR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 02.01.2026 समय 09.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल नम्बर वॉटस्अप कॉल कर बताया कि मैं हरिराम चौधरी धरियावद से बोल रहा हूं मेरे बडे पापा का लडका गोतम लाल जो कि घर पर पीने के लिये देशी महुऐ की शराब निकालता है जिसको लेकर आबकारी थाना घरियावद वाले मासीक बन्दी के रूप में 3000/ रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान कर रहे है। इस बात को लेकर गोतम लाल आपसे बात करना चाह रहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गोतमलाल से बात कि तो बताया कि मैं अभी धरियावद हु। मैं, मेरे व मेरे पिताजी तथा मेरे भाई के पीने के लिये कभी कभी देशी महुआ की शराब निकालता हूं। जिसको लेकर आबकारी थाना धरियावद के पी.ओ. अधिकारी श्री ईश्वर जी मुझसे महीने की बन्दी के रूप में 3000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है तथा अभी मुझे रूपयों के लिये फोन कर रहा है। मैं ईश्वर जी पी.ओ. साहब को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। उन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हु। मेरे आपस में कोई रंजीश व लडाई-झगडा नहीं हैं तथा ना हि हमारे आपस में कोई दुश्मनी हैं। हमारे आपस में कोई लेन-देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गोतम लाल के मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सम्पर्क करने हेतु बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुचना विश्वनीय होने से कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 को सम्भलवाया तथा कानि. को परिवादी श्री गोतम लाल के मोबाईल नम्बर एवं श्री हरिराम चौधरी के मोबाईल नम्बर सुपुर्द कर धरियावद पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से लिखीत में रिपोर्ट प्राप्त कर संदिग्ध श्री ईश्वर पी.ओ. आबकारी थाना धरियावद से रिश्वत राशी मांग सत्यापन की कार्यवाही कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हैतु हिदायत मुनासीब कर ब्यूरो कार्यालय से समय 09.40 ए.एम. पर रवाना किया गया। दिनांक 02.01.2026 समय 0215 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लगा हुआ हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर कानि द्वारा मन् अत्तिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की आपके निर्देशानुसार मैं लसाडिया चौराया धरियावद पहुंच श्री हरिराम चौधरी के मोबाईल नम्बर पर जरिये वॉटस्अप कॉल किया तो परिवादी द्वारा बताया कि आप लसाडिया चौराया के आगे होटल माणक पेलेस से थोडा आगे आओ में व गोतम लाल यही पर है जिस पर मैं लसाडिया चौराया से आगे माणक पेलेस होटल के आगे पहुंच श्री हरिराम चौधरी को जरिये वॉट्सअप कॉल किया तो श्री हरिराम चौधरी द्वारा बताया की हमने आपको देख लिया है थोडा आगे आओ जिस पर मन कानि परिवादी के पास पहुंच परिवादी से शिकायत के बारे में पुछताछ कर एक लिखित रिपोर्ट रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त की कि मैं गोतम लाल पिता श्री हरचन्द जी चौधरी जाती कलाल उम्र 48 साल निवासी केशरियावाद जिला प्रतापगढ़ मैं मेरे घर पर मेरे व पिताजी व भाई के पीने के लिये कभी कभी देशी महुआ की शराब निकालता हूं जिसको लेकर धरियावद आबकारी विभाग के अधीकारी ईश्वर सिह पी.ओ. ने मेरे से 3000 हजार रूपये की मांग कर रहा है व उंकार लाल जमादार 2500/ लेता है व जिस में से 1500 रूपये खुद के लिये व 1000/ रूपये सी.आई. साहब के व 500 रू सलीम सिपाही के लिये मांग करता है। ईनको में रिश्वत राशी नहीं देना साता हु व आज मुझे फेन कर ईश्वर पी.ओ. साहब द्वारा फेन कर 3000/ हजार रूपया व देशी मुर्गा लाने की कह रहा है। मेरा ईनसे कीसी प्रकार की जाति दुश्मनी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इनके खिलाफ कानूनी कारवाई करने की कपया करे। उक्त लिखीत रिपोर्ट प्राप्त कर परिवादी से उसके पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की इसके बाद परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया की साहब श्री ईश्वर जी पीओ साहब मुझे बार बार फोन कर रहे है तथा अभी वो आबकारी थाने पर ही है मुझे वही रूपये लेने के लिये बुला रहे है। जिस पर मन् कानि द्वारा समय 11.39 एएम पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु सुपुर्द कर रवाना आबकारी थाना किया गया तथा मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इन्तजार में मुकीम रहा। करीब 15-20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड लगा हुआ चालु

हालत में सुपूर्द किया जिसे मन् कानि. ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया की श्री ईश्वरजी पी.ओ. साहब से मेरी रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्ता हो चुकी है तथा पी.ओ. साहब ने मेरे से मेरे मासिक बन्धी के 2000/- रूपये अभी ले लिये है तथा आदेश जो कि मेरा चचेरा भाई है वो भी घर पर पीने के लिये देशी महुऐ की शराब निकालता है उसके भी मासीक बन्धी के 1000/- रूपये मुझसे मांग रहा है। जिस पर मैंने उनको उक्त रूपये बाद में देने हेतु कहा है। उक्त वार्ता को मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिस पर मन् कानि ने श्रीमान को जरिये वॉट्सअप कॉल कर अवगत कराया था। श्रीमान द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था जिस पर परिवादी द्वारा आज कही बाहर जाना बताया तथा कल दिनांक 03.01.2026 को शाम को घर पर आना बताया। जिस पर परिवादी को दिनांक 04.01.2026 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यवाही की गोपनीयता रखने हेतु हिदायत देकर रवाना हो उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर पी.ओ. के मध्य आमने-सामनें हुई वार्ता से रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया जिससे श्री नरेन्द्र सिंह कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आईन्दा परिवादी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेगी। डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री दिलीप कुमार कानि. से मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किये गये। दिनांक 04.01.2026 समय 1000 ए.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गौतम लाल कलाल के भाई हरीराम से जरिये फोन वाट्सअप कॉल कर सम्पर्क कर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु बताया गया तो परिवादी के भाई श्री हरीराम ने बताया कि गौतम लाल अभी प्रतापगढ़ नही आ सकता है, खेतो में पानी पिलाने का काम कर रहा हैं परिवादी से मिलना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय प्राईवेट वाहन के ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो धरियावद पहुंच परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी द्वारा बताया कि सर आप लसाडिया चौराया से आगे धावडी माता रोड पर आ जाओ में आपको सामने मिल जाउंगा। जिस पर रवाना हो धावडी माता रोड पहुंचा तो परिवादी सामने मोटरसाईकिल पर आते हुये की कानि. नरेन्द्र सिंह ने पहचान की परिवादी द्वारा बताया कि थोडा आगे श्री हरिराम चौधरी का खेत है वही पर रूककर बात करते है। जिस पर श्री हरिराम चौधरी के खेत पर पहुंचा। थोडी देर बाद श्री हरिराम चौधरी भी खेत पर आ गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मन् परिवादी श्री गोतम लाल कलाल द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द व शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वयं के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत में दि जाने वाली राशि देने के संबन्ध में पुछा तो परिवादी द्वारा बताया कि साहब आज तो ईश्वर जी पी.ओ. साहब आज कही रेड डालने गये हुये है में कल बाकि के 1000/ रूपये की व्यवस्था कर ए.सी.बी. कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित हो जाउंगा। तत्पश्चात परिवादी को कल दिनांक 05.01.2026 को सुबह 0900 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यवाही की गोपनीयता रखने रखने हैतु हिदायत मुनासीब की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 मय प्राईवेट वाहन के खाना हो समय 0130 पी.एम पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। दिनांक 05.01.2026 समय 0930 ए.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 21 दिनांक 05.01.2026 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ राज, के नाम तेहरिर जारी कर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 से जरिये वॉटसअप नम्बर पर श्री अनील पोरवाल जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को प्रेषित की व जरिये फोन वार्ता करने पर उन्होने बताया की सर दिनांक 25.12.2025 से 05.01.2026 तक शीत कालीन अवकाश होने से कोई भी कार्मीक उपस्थित नही है। जिस पर कार्यालय पत्र कमांक 24 दिनांक 05.01.2026 द्वारा संयुक्त निदेशक महोदय पशु पालन विभाग प्रतापगढ़ के नाम तहरीर जारी कर श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 को दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कराने हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। दिनांक 05.01.2026 समय 1000 ए.एम.पर परिवादी श्री गोतम लाल कलाल ब्यूरो कार्यालय पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिश्वत राशि 1000/- रूपये और देना तय हुआ था. मांग के अनुसार मैं 1000 / हजार रूपये कि व्यवस्था करके ले आया हूँ। स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 05.01.2026 समय 1215 पी.एम. पर श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 उपरोक्त फिगराबाला का रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय पर हाजिर आया ब्यूरो से रवाना हो संयुक्त निदेशक महोदय पशु पालन विभाग प्रतापगढ पहुचं गवाह तलबी हेतु जारी तेहरीर सर्व की जाकर कार्यालय संयुक्त निदेशक महोदय पशु पालन विभाग प्रतापगढ़ के पत्र कमांक 4660 दिनांक 05.01.2026 प्राप्त कर मय स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह पशुधन निरीक्षक एवं श्री जसपाल रैदास पशुधन निरीक्षक के उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री विरेन्द्र सिंह पिता श्री तेज सिह राठौड उम्र 35 साल जाति राजपुत निवासी बापु गली धमोत्तर दरवाजा प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ हाल पशुधन निरीक्षक जिला रोग निदान प्रयोगशाला प्रतापगढ मोबाईल नं. व दुसरे ने श्री जसपाल रैदास पिता श्री मुलचन्द रैदास उम्र 37 साल जाति रैदास निवासी रैदास मोहल्ला वार्ड नं. 5 पानमोडी प्रतापगढ मोबाईल न. होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाह से पहचान हेतु

आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की गई। तथा दोनो गवाहन को ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गोतमलाल कलाल को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री गोतम लाल कलाल का आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात श्री गोतम लाल कलाल द्वारा दिनांक 02. 01.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया गया। उक्त रिपोर्ट को पढकर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये दिनांक 05.01.2026 समय 12.40 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय दिनांक 02.01.2026 को उक्त कार्यवाही में हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता वाले मूल मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर ब्यूरो का वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तत्पश्चात दिनांक 02.01.2026 को समय 11.39 ए.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. आबकारी थाना धरियावद के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया जिसमें परिवादी द्वारा एक आवाज स्वयं की एवं दुसरी आवाज श्री ईश्वर सिंह पी.ओ की होने की पुष्टि की गई। तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वरलाल कानि. से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को पढाई गई वार्ता की पुष्टि परिवादी ने की। मुर्तिबशुदा फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहो ने हस्तारक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 से सरकारी फोन (सेमसंग कम्पनी) से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोंग्राफी करवाई गई। दिनांक 05.01.2026 समय 01.00 पी.एम.पर उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहां जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है-

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500/-रूपये का एक नोट	5DB 359146
2	500/- रूपये का एक नोट	1EK 228866

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया जिन्होने सही होना बताया तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 को सम्भलवाई जाकर हैड कानि द्वारा अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 1000/- रूपये के 500/ के दोनो नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वंतत्र गवाहान श्री जसपाल रैदास से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं पाई गयी। फिनोफ्थेलीन लगे हुए उक्त 500 रूपये के 02 नोट को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री गोतम लाल कलाल के पहने हुए पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से मालखाने से सोडियम कार्बोनेट पाउडर मंगवाया गया। श्री दिलीप कुमार कानि 319 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार घुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि 319 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मेरे मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि, श्री दिलीप कुमार कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व

साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में शामिल समस्त जाप्ते को निर्देश दिये कि कार्यवाही के दोरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपसी संवाद के लिये करे अन्य उपयोग से बचे तथा श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. 06 को जाप्ते की कमी होने से साथ में आवे व दौराने ट्रेप कार्यवाही गाडी के अन्दर ही बैठे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320 द्वारा सरकारी फोन (सेमसंग कम्पनी) से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोंग्राफी करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढ़कर सुनाई, पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 05.01.2026 समय 01.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. की लॉकेशन प्राप्त कर श्री ईश्वरलाल कानि. व श्री दिलीप कुमार कुमार कानि. नं. 319 मय प्राईवेट मोटरसाईकिल के आबकारी थाना धरियावद के सामने होटल आनन्द रिसोर्ट पर गोपनीयता रखते हुये व परिवादी श्री गोतम लाल कलाल व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 मय डिजिटल वोईस टेप रिकोर्डर मय पूर्व में दिनांक 02.01.2026 को मांग सत्यापन कराया गया उक्त मेमोरी कार्ड मय प्राईवेट मोटरसाईकिल के होटल आनन्द रिसोर्ट के पिछे छिपाव हासील कर गोपनीयता रखते हुये रवाना किया गया एवं पिछे पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह व श्री जसपाल रैदास व हमराही कार्यालय जाप्ता श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 मय प्राईवेट वाहन के रवाना हो आनन्द रिसोर्ट पहुंचे। दिनांक 05.01. 2026 समय 02.44 पी.एम. पर दर्ज रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होटल आनन्द रिसोर्ट पहुंच कानि, नरेन्द्र सिंह नं. 324 को जरिये वाट्सअप कॉल किया तो कानि. द्वारा बताया कि सर हम होटल आनन्द रिसोर्ट के पिछे कि तरफ दिवाल का छिपाव हासील कर खड़े है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया कि परिवादी से आबकारी थाने के कर्मचारी संदीग्ध श्री उकार लाल जमादार जो कि परिवादी का विश्वश्नीय है को परिवादी से फोन करा वार्ता कराने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आबकारी थाने के कर्मचारी श्री उंकार लाल जमादार के मोबाईल नम्बर पर फोन कर कहा कि मैं आउ क्या तब श्री उकांर लाल द्वारा कहां कि वां ठीक उक्त वार्ता को परिवादी का फोन लाउडस्पीकर कर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल कर अवगत कराया कि श्री उकार लाल जमादार से परिवादी की वार्ता हो चुकि है श्री उंकार लाल जमादार ने परिवादी को बताया कि श्री ईश्वर सिंह पी.ओं. भी थाने पर उपस्थित है आप थाने पर आ जाओ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आबकारी थाना पहाडी व एकांत एवं उंचाई पर होने व चारो तरफ से खुला हो उसके आस पास जंगल ईलाका होने से आरोपी के भागने की पूर्ण संभावना होने से ब्यूरो के श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 को आबकारी थाने के बाई ओर पहाडी पर जंगल की तरफ रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा होटल आनन्द की छत पर जाकर आबकारी थाने की गतिविधी जानने की कोशिश की तो छत पर एक महीला के घुमने और एक वर्दी धारी पुरूष के होने से कानि. नरेन्द्र सिंह को जरिये वॉट्सअप कॉल कर बताया थोडी देर रूकना अभी परिवादी को आबकारी थाने पर मत भेजना। उसी दोरान आबकारी थाने की सरकारी गाडी थाने से बाहर रवाना हो गयी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो मुख्यालय से आरोपी श्री ईश्वरसिंह पी. ओ. के मोबाईल नम्बर की लोकेशन ली गई तो सवाला होना ज्ञात आया। कुछ समय पश्चात दुबारा आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी. ओ. के मोबाईल नम्बर की लोकेशन ब्यूरो मुख्यालय से ली गई तो मुंगाणा से आगे नरवाली रोड पर करीब 25 कि.मी. दुर होना ज्ञात आया तथा संदीग्ध श्री उंकार लाल जमादार के मोबाईल नन्बर की लोकेशन ली गई तो श्री ईश्वरसिंह पी.ओ. की व श्री उंकार लाल जमादार की एक जगह लोकेशन होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्य आरोपी के आबकारी थाना धरियावद पर उपस्थित होने पर अग्रीम कार्यवाही के इंतजार में रहे। दिनांक 05.01.2026 समय 06.17 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी ईश्वर सिंह की ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन ली गई तो कि सवाला आई यानी आरोपी पुनःथाने पर लौट रहा है ऐसे में परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर पुछा गया कि आ जाउं क्या तब आरोपी श्री ईश्वरसिंह पी.ओ. द्वारा नही आने हेतु कहा। उक्त वार्ता को श्री नरेन्द्र सिंह कानि, द्वारा परिवादी का फोन लाउड स्पीकर कर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड किया गया। तत्पश्चात थोडी देर बाद आबकारी थाने की गाडी थाने के अन्दर आ गयी। दिनांक 05.01.2026 समय 06.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी की आरोपी के फोन पर वार्ता करवाई गई थी जिस पर आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. द्वारा आज नही मिलने के लिये कहां इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को कहा कि तुम सीधे ही आबकारी थाने जाकर रिश्वत राशि आरोपी को दे दो जिस पर परिवादी द्वारा बताया कि सर आज पी.ओ. साहब ने मना कर दिया है इस कारण आज तो में उनके पास नहीं जा सकता हूं। अगर मना करने के बाद भी गया तो उन्हें शक हो जायेगा। वक्त शाम का होने व इमरोज ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं होने से उक्त रिश्वत राशी 1000 / रूपये परिवादी से स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह से लिवाये जाकर सुरक्षीत रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को उक्त कार्यवाही की गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। तथा कल सुबह 0900 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर परिवादी को रूखसत किया गया। समय 0720 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320, श्री

दिलीप कुमार कानि. नं. 319, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324. श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 एवं श्री राजेश कुमार होमगार्ड नं. 190 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से रवाना प्रतापगढ़ के लिए हुआ। समय 08.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320, श्री दिलीप कुमार कानि. नं 319, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ पहुंच आरोपी को रिश्वत में दिये वाले 1000 रू जिन पर फिनोफथलिन पाउडर लगा हुआ हो परिवादी से प्राप्त कर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये मय ट्रेप बॉक्स मय डिजीटल बॉईस टेप रिकोर्डर को सुरक्षीत मालखाने में रखवाये गये। हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किये गये। दिनांक 05.01.2026 समय 9. 15 पी.एम. पर दिनांक 05.01.2026 को समय 2.44 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से सदिग्ध अधिकारी श्री उंकार लाल जमादार आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के मोबाईल नम्बर के मध्य जरिये फोन वार्ता व समय 2.47 पीएम पर ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकोर्डर में रिकॉर्ड खाली वार्ता व समय 06.17 पीएम पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी ईश्वर सिह पीओ के मोबाईल नम्बर पर जरीये मोबाईल वार्ता जिसे नरेन्द्र सिंह कानि नम्बर 324 द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया जिसे दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को पृथक-पृथक चलाना सुनाया गया तथा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 से प्रत्येक वार्ता की पृथक-पृथक फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार करवाई जाकर स्वतंत्र गवाह को सुनाई एंव पढाई गई तो जिसे सही मान परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेन ड्राईव पृथक से तैयार किया जावेगा। दिनांक 05.01.2026 समय 10.00 पी.एम.पर समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री जसपाल रैदास ने अवगत कराया कि कल कार्यवाही में हम दोनो नहीं आ सकते है क्योकि हमे पारिवारीक कार्यकम में जाना है इस पर उन्हे कार्यवाही कि गोपनियता बनाए रखने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। तथा ब्यूरो कार्यालय के जाप्ते को कार्यालय में ही रहने तथा कल सुबह 0900 ए.एम. पर तैयार रहने हेतु हिदायत मुनासीब की गई। दिनांक 06.01.2026 समय 09.30 ए.एम.पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से पुर्व में जारी कार्यालय पत्र कमांक 21 दिनांक 05.01.2026 कि पालना मे श्री अनील पोरवाल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ राज. के कार्यालय पत्र क्रमांक 822 दिनांक 05.01.2026 द्वारा श्री दिनेश कुमार लेक्चरर जी.एस.एस. स्कुल वरमण्डल प्रतापगढ एवं श्री हितेश शर्मा अध्यापक जी.यु.पी.एस. लोहार गली प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराये गये थे जिस पर श्री अनील पोरवाल मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को जरिये फोन कर उक्त स्वतंत्र गवाह को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 06.01.2026 समय 10.00 ए. एम.पर परिवादी श्री गोतम लाल कलाल ब्यूरो कार्यालय पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। जिस पर परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। दिनांक 06.01.2026 समय 1030 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो एक ने अपना नाम श्री दिनेश कुमार पिता श्री अमरा जी उम्र 37 साल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05, 13 केएनडी-सी गंगानगर राज. हाल लेक्चरर जी.एस.एस. स्कुल वरमण्डल जिला प्रतापगढ़ व दुसरे ने अपना नाम श्री हितेश शर्मा पिता श्री अम्बा प्रसाद शर्मा उम्र 29 साल जाति ब्राम्हण निवासी 88 तिलक नगर वार्ड नं. 01 बगवास प्रतापगढ जिला प्रतापगढ राज हाल अध्यापक रा. उ. प्रा.वि. लोहार गली प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ राज, होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाह से पहचान हेतु आधार कार्ड की प्रति प्राप्त की गई। तथा दोनो गवाहन को ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री गोतमलाल कलाल को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री गोतम लाल कलाल का आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात श्री गोतम लाल कलाल द्वारा दिनांक 02.01.2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-व-शब्द सही होना मान रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया गया। उक्त रिपोर्ट को पढकर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 06.01.2026 समय 10.40 ए.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्यालय में उपस्थित श्री दिलीप कुमार कानि नं 319 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वॉईस रिकोर्डर मय दिनांक 02.01.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया जिसे कानि दिलीप कुमार नम्बर 320 ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपुर्द किया तथा दिनांक 02.01.2026 को समय 11.39 ए.एम. पर परिवादी एवं आरोपी श्री ईश्वर पी.ओ. आबकारी थाना धरियावद के मध्य आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। जिसे परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चलाकर सुनाया गया। तथा दिनांक 02.01. 2026 को समय 11.39 ए.एम. पर परिवादी श्री गोतम लाल कलाल से आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ दोनो के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता व दिनांक 05.01. 2026 को समय 02.44 पी.एम. पर परिवादी के

मोबाईल नम्बर से संदिग्ध श्री उंकारलाल जमादार आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के मोबाईल नम्बर के मध्य जरिये फोन वार्ता व समय 0247 पी.एम. पर ब्यूरो के डिजिटल बॉईस टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड खाली वार्ता व समय 0617 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री ईश्वरलाल के मोबाईल नम्बर पर जरिये मोबाईल वार्ता की डिजिटल वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वरलाल कानि. से दिनांक 05.01.2026 को फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई थी जिसे पढ़कर दोनो स्वतंत्र गवाह ने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वरलाल कानि.नं. 320 से सरकारी फोन (सेमसंग कम्पनी) से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोंग्राफी करवाई गई। दिनांक 06.01.2026 समय 11.01 ए.एम. पर उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहां जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 02 नोट कुल 1000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है-

क.स.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1	500/-रूपये का एक नोट	5DB 359146
2	500/- रूपये का एक नोट	1EK 228866

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया जिन्होने सही होना बताया तत्पश्चात श्री दिलीप कुमार कानि. से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 को सम्भलवाई जाकर हैड कानि द्वारा अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 1000/- रूपये के 500 के दोनो नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री हितेश शर्मा से लिवाई गई, जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं पाई गयी। फिनोफ्थेलीन लगे हुए उक्त 500 रूपये के 02 नोट को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री गोतम लाल कलाल के पहने हुए पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गए। तत्पश्चात् श्री दिलीप कुमार कानि 319 से मालखाने से सोडियम कार्बोनेट पाउडर मंगवाया गया। श्री दिलीप कुमार कानि 319 से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय से साफ पानी भरवाकर मंगवाया, इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गबाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अ द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार घुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेश प्रसाद हैड कानि 06 से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री दिलीप कुमार कानि 319 को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सम्भलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं हुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मेरे मोबाईल नम्बर पर मिस्ड कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। परिवादी, श्री गणेश प्रसाद हैड कानि, श्री दिलीप कुमार कानि व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में शामिल समस्त जाप्ते को निर्देष दिये कि कार्यवाही के दोरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल सिर्फ आपसी संवाद के लिये करे अन्य उपयोग से बचे तथा श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. 06 को जाप्ते की कमी होने से साथ में आवे व दौराने ट्रेप कार्यवाही गाडी के अन्दर ही बैठे रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की श्री ईश्वलाल कानि. नं. 320 द्वारा सरकारी फोन (सेमसंग कम्पनी) से मेमोरी कार्ड मोड ऐक्टीव कर विडियोंग्राफी करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढ़कर सुनाई, पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 06.01.2026 समय 12.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार एवं श्री हितेश शर्मा तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324. श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320, श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 एवं श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. नं. 06 मय मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यूरो इकाई प्रतापगढ़ से आरोपी श्री ईष्वर सिंह पी.ओ के मोबाईल नम्बर 9166723278 की ब्यूरो मुख्यालय से लॉकेशन प्राप्त कर आबकारी थाना धरियावद के सामने होटल आनन्द रिसोर्ट के लिये रवाना हुये। दिनांक

06.01.2026 समय 01.30 पी. एम्.पर उपरोक्त फिगराबाला का रवानाशुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार एवं श्री हितेश शर्मा तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324. श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320, श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 एवं श्री गणेश प्रसाद हैड कानि नं. 06 मय मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के होटल आनन्द रिसोर्ट पहुंच आरोपी की श्री ईश्वर सिंह पी.ओ के मोबाईल नम्बर की ब्यूरो मुख्यालय से लोकेशन प्राप्त की गई तो आरोपी की लोकेशन आबकारी थाने पर ही पायी गई जिस पर श्री दिलीप कुमार कानि.नं. 319 को छुपाव हासील करते हुये आबकारी थाना धरियावद के सामने झाडियो के पिछे छुप कर परिवादी के ईषारे पर नजर रखने हेतु भैजा गया तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 324 को रिश्वत राशी लेन देन वार्ता हेतु डिजीटल वॉईस टेप रिकोर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द करने हेतु निर्देशित किया गया। समय 01.39 पी.एम पर कानि. द्वारा डिजीटल वॉईस टेप रिकोर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर रवाना किया गया तथा श्री नरेन्द्र सिंह कानि. व श्री ईश्वरलाल कानि. को छुपाव हासील करते हुये परिवादी के पिछे-पिछे रवाना किया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह परिवादी के निर्धारित ईशारा मिस्ड कॉल के इंतजार में रहे। एवं श्री गणेश प्रसाद हैड कानि. को गाड़ी में ही बैठे रहने की हिदायत दी गई। करीब 7-8 मीनट बाद परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताया कि मैं यहा से रवाना होकर आबकारी थाने मैन गेट पर पंहुच अन्दर जाने की कोशिश की तो आबकारी थाने के श्री उंकार लाल जमादार व अन्य विकलांग सिपाही जिसका नाम में नहीं जानता हूं उक्त दोनो मेरी तरफ दौड कर आये। और थाने का मुख्य चैनल गेट बंद कर दिया। श्री उंकारलाल जमादार ने मुझे यहा से चले जाने के लिये कहने लगा तब मैने पी.ओ. साहब के लिये पूछा तो श्री उंकार लाल जमादार ने कहा कि साहब प्रतापगढ गये है यहां नही है तत्पश्चात मेने कहां कि मुझे मेरा आधार कार्ड चाहिये (पुर्व मे परिवादी का आधार कार्ड आरोपी ईश्वर सिह पीओ ने ले लिया था) उसी दौरान श्री ईश्वरसिंह पी.ओ. साहब अन्दर से चड्डी बनियान मे बाहर आये मेरा आधार कार्ड उंकार लाल को देते हुये श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. हाथ में लठ लेकर मारने की धमकी देता हुआ एंव गाली गलौच करता हु मेरी तरफ दोडा और चिल्लाने लगा भागजा... भागजा.... यहा से और गन्दी गन्दी गालिया देने लगा तो श्री उंकार लाल जमादार ने पी.ओ. साहब को अन्दर जाने के लिये कहा एवं उंकार लाल जमादार ने आधार कार्ड अन्य सिपाही को दिया अन्य सिपाही द्वारा मेरा आधार कार्ड चैनल गेट पर आकर मुझे गेट के अन्दर से ही आधार कार्ड दे दिया, जिस पर रवाना हो आपके पास आकर डिजिटल चॉईस टेप रिकोर्डर मेने आपको सुपुर्द किया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा बताया कि सर आबकारी थाने वालो को कार्यवाही की भनक लग चुकी है। अब पी.ओ. साहब मेरे से रूपये नही लेंगे तथा मुझे पुरी शक है उक्त कार्यवाही के बारे में मेरे काका का लडका श्री हरिराम चौधरी को पता था तथा श्री हरिराम चौधरी ने ही कार्यवाही के लिये मेरी बात आपसे करवाई थी। श्री हरिराम के अंग्रेजी शराब के ठेके है इस वजह से हरिराम आबकारी थाने में आता-जाता रहता है तथा सभी स्टाफ के सम्पर्क में है। उसी ने एसीबी कार्यवाही के बारे में थाने वालों को बताया है। हालात उच्चाधिकारीयों को निवेदन किये गये। दिनांक 06.01.2026 समय 02.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही संभव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार एवं श्री हितेश शर्मा तथा परिवादी एवं ब्यूरो जाप्ता कानि. नरेन्द्र सिंह नं. 324, श्री ईश्वरलाल कानि. नं. 320. श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 एवं श्री गणेश प्रसाद हेड कानि. नं. 06 मय मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधान के सरकारी लेपटॉप, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के होटल आनन्द रिसोर्ट से रवाना हो समय 03.30 पी.एम. ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये एवं परिवादी से 500-500 रूपये के दो नोट कुल 1000/रूप्ये प्राप्त कर श्री दिलीप कुमार कानि. को सुपुर्द कर मय ट्रेप बॉक्स कार्यालय के मालखाने में सुरक्षीत रखवाया गया। दिनांक 06.01.2026 समय 3.45 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दोनो स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी श्री गोतम लाल ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की कि मुझ प्रार्थी गोतमलाल पिता श्री हरचन्द जी कलाल उम्र 48 साल निवासी केशरियावाद जिला प्रतापगढ़ मैं दिनांक 02.01.2026 को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी थी जिस पर एसीबी टीम प्रतापगढ़ द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारी को विरूद्ध कारवाही करने हेतु दिनांक 05.01.2026 को धरियावद गया लेकिन अधिकारी में पैसे लेने के लिये मना कर दिया व रात भी हो गयी थी जिस कारण कारवाई नहीं हुई। जिस पर आज दिनांक 06.01.2026 को टीम कार्यवाही करने के लिये धरियावद आई थी ओर मैं भी टीम के साथ था जिस पर एसीबी टीम द्वारा मुझे रिश्वत राशी देने हेतु आबकारी विभाग कार्यालय में अधीकारी को देने हेतु भेजा तो आबकारी विभाग के अधीकारी ने मुझे देखकर गेट बन्द कर दिया। आबकारी विभाग के अधिकारी ईश्वर सिंह मुझे लठ लेकर मारने दोडा व गाली गलौच की व उंकार लाल जामादार ने मुझे भगा दिया। आबकारी विभाग के अधीकारी से मुझे लगता है कि हरिराम शराब ठेकेदार धरियावद ने आबकारी विभाग के अधीकारी को बता दिया कि गोतम आपके खिलाफ एसीबी टीम से कारवाई करा रहा है। अतः रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है। जिसे प्राप्त कर दोनो स्वतंत्र गवाहो ने पढ़कर उस पर हस्ताक्षर किये। हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन किये। दिनांक 06.01.2026 समय 4.00 पी.एम.पर दिनांक 06.01.2026 समय 10.25 ए.एम. पर खाली वार्ता एंव समय 1.39 पीएम पर परिवादी एंव आरोपी श्री ईश्वर सिह पीओ तथा ऑकार लाल जमादार के मध्य रिश्वत राशी लेन देन प्रयास वार्ता को ब्यूरो के डिडिटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी ने

रिकॉर्ड किया उक्त वार्ता की ट्रांसकिप्ट ब्यूरों के कम्प्युटर से कनेक्ट करा श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई जिसे पढ़कर सही मान दोनो स्वंतत्र गवाह एंव परिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उक्त वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। दिनांक 06.01.2026 समय 4.50 पीएम पर दिनांक 02.01.2026 को समय 11.39 एएम पर परिवादी एंव आरोपी संदिग्ध अधिकारी श्री ईश्वर सिह पीओ के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरों के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया तथा दिनांक 05. 01.2026 को समय 2.44 पीएम पर परिवादी एंव संदिग्ध अधिकारी ओकार लाल जमादार के मध्य परिवादी के मोबाईल नम्बर से सदिग्ध आरोपी श्री ओकांर लाल जमादार के मोबाईल नम्बर पर हुई रिश्वत राशी मांग सत्यापन बार्ता जिसे ब्यूरो के डिडिटल टेप रिकॉर्डर में कानि नरेन्द्र सिह नम्बर 324 ने रिकोर्ड किया गया तथा दिनांक 05.01.2026 को समय 2.47 पीएम पर कोई वार्ता नहीं हुई तथा दिनांक 05.01.2026 को समय 6.17 पीएम पर परिवादी एंव सदिग्ध अधिकारी ईश्वर सिंह पीओ के मध्य परिवादी के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आरोपी श्री ईश्वर सिंह पीओ के मोबाईल नम्बर पर की गई वार्ता जिसे कानि नरेन्द्र सिंह नम्बर 324 ने ब्यूरो के डिडिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया तथा दिनांक 06.01.2026 को समय 10.25 एएम पर कोई वार्ता नही तथा दिनांक 06.01.2026 को समय 1.39 पीएम पर परिवादी एंव सदिग्ध अधिकारी श्री ईश्वर सिह पीओ तथा ओंकार लाल जमादार के मध्य हुई रिश्वत राशी लेन देन प्रयास वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी ने रिकॉर्ड किया कुल 6 वार्ता जिसे नियमानुसार ब्यूरो के कम्प्यूटर से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कनेक्ट करा ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 ने उक्त वार्ताओ की पृथक-पृथक पेन ड्राईव प्रत्येक पर केडीएम लिखा हुआ केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर 8 जीबी की तैयार की एंव चारों पेन ड्राईव की पृथक-पृथक हेश वेल्यू निकाली गई। उक्त चारो पेन ड्राईव मे से एक पेन ड्राईव न्यायालय, दुसरा पेन ड्राईव आरोपी हेतु, तीसरा मूल पेन ड्राईव, तथा चौथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेन ड्राईव है। मूल पेन ड्राईव न्यायालय पेन ड्राईव तथा पेन ड्राईव आरोपी हेतु को पृथक-पृथक कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर नियमानुसार परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष सिलचिट बंद कर प्रत्येक पेन ड्राईव की पृथक-पृथक फर्द जब्ती परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तैयार की गई जिस पर परिवादी एंव दोनों स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये । अनुसंधान अधिकारी मेन ड्राईव केडीएम कम्पनी का बरंग सिल्वर स्टील 8 जीबी को अलग लिफाफे में बंद कर रखा जिस पर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों ने हस्ताक्षर किये। दिनांक 06.01.2026 समय 5.15 पी.एम. पर 02.01.2026 को समय 11.39 ए.एम. पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आमने-सामने व दिनांक 05.01.2026 को समय 02.44 पी. एम., समय 02.47 पी.एम. व समय 06.17 पी.एम. पर परिवादी की आरोपी श्री ईश्वर सिंह पी.ओ. व संदिग्ध श्री उंकार लाल जमादार से जरिये मोबाईल रिश्वत राशि लेनदेन हेतु हुई वार्तायें एवं दिनांक 06.01.2026 को समय 10.25 ए.एम. एवं समय 01.39 पी.एम पर हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताए कुल 06 जो नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त मूल मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू नियमानुसार श्री ईश्वरलाल कानि. से निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग काला केडिएम कम्पनी का 08 जी.बी. जिस पर केडिएम लिखा हुआ है, को कवर में एक लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थेली में रखकर परिवादी एव दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जरिये फर्द वजह सबूत जब्त कर नियमानुसार मार्क M अंकित कर सिलचीट किया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहो एंव परिवादी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 06.01.2026 समय 5.30 पी.एम.पर उक्त असफल ट्रेप कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड केडिएम कम्पनी बरंग काला 08 जी.बी. डलवाकर समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मोबाईल को श्री ईश्वर लाल कानि नम्बर 320 ने सरकारी कम्प्युटर से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। पेन ड्राईव कि हेश वेल्यु निकाल कर एक पर न्यायालय पेनड्राईव केडीएम कम्पनी बंरग सिल्वर 8 जीबी तथा दूसरी पेनड्राईव केडीएम कम्पनी बंरग सिल्वर 8 जीबी पर आई.ओ. लिखा जाकर न्यायालय पेन ड्राईव अलग कवर में रखा जाकर एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर नियमानुसार सिलचिट बंद कर संम्बधितों के हस्ताक्षर किये। पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा आईओ पेन ड्राईव को अलग लिफाफे मे रखकर उस पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 06.01.2026 समय 5.45 पी.एम.पर उक्त असफल ट्रेप कार्यवाही के दौरान सरकारी मोबाईल फोन सेमसंग कम्पनी के अन्दर एक नया मेमोरी कार्ड केडिएम कम्पनी बरंग काला 08 जी.बी. डलवाकर समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त मुल मेमोरी कार्ड 8 जीबी कि हेश वेल्यु निकाली जाकर मूल मेमोरी कार्ड केडीएम कम्पनी बेरंग काला 8 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो ने हस्ताक्षर किये जिस पर एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहो के समक्ष सिलचिटबंद कर मार्क M-1 अंकित कर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर किये जिसे पृथक से जरिये फर्द जब्त कर परिवादी एंव दोनो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दिनांक 06.01.2026 समय 6.00 पी.एम. पर जब्तशुदा मालखाना समस्त आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री दिलीप कुमार कानि 319 को निर्देशित किया गया। एवं परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री

दिनेश कुमार व श्री हितेश शर्मा को उक्त असफल ट्रेप कार्यवाही की दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण होने से रुखसत किया गया।अतः परिवादी की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं गोपनीय जानकारी से श्री ईश्वर सिह पीओ आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ द्वारा परिवादी श्री गौतम कलाल से देशी शराब बेचने के नाम पर अवैध मासिक बंदी के रूप में मांग की जा रही 1000/- हजार रूपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करने से आरोपी श्री ईश्वर सिह पीओ आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 का अपराध प्रमाणित होने से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रेषित हैं।भवदीय(विकम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विकम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री ईश्वर सिह पिता श्री रामसिंह शक्तावत उम्र 52 साल निवासी निचला गुडा तहसील सराडा जिला उदयपुर हाल पीओ आबकारी थाना धरियावद जिला प्रतापगढ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीना, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 22 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 565-68 दिनांक 27.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ़ 2- आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2026 12:53:33

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)